फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00262

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह गोयल<br>निवासी नयावास नं. 2 सिरोही<br>जिला सिरोही | | सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी<br>जिला आबकारी अधिकारी सिरोही |

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 59 वर्ष 2020

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14.09.2020 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 10.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि हिन्दू श्मशान के सामने चल रहे शराब ठेके को बंद करवाने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं ।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 10.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि हिन्दू श्मशान के सामने चल रहे शराब ठेके को बंद करवाने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। सूचना आबकारी विभाग से सम्बन्धित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवेदन जिला आबकारी अधिकारी सिरोही को जरिये पत्र क्रमांक 173–174 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी सिरोही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।<br><br>(भगवती प्रसाद)<br>जिला कलक्टर, सिरोही<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal<br>Date: 2021.01.12 16:52:32 IST<br>Reason: SelfAttested | |

Scanned with CamScanner